/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला–राज

..... बनाम .....

ण

वक्तागण उपस्थित/
कार्य से कार्डलेख
कार्यवाही पूर्ण आदेश
1-3-19 को

आज्ञा से

पक्ष अधि उ०
वादी ने साक्ष्य
अवसर चाहा।
पर अग्रिम कार्य
साक्ष्य वादी की
जावे। पत्रावली
हो।

थत/
आदेश
को

से

सत्यमेव जयते

तय सहायक कलेक्टर /उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला–रा

संख्या – 166/19 शीर्षक ..... बनाम .....

	कार्यवाही प्रकरण
	8/7/19 पत्रावली पेश है। अधि पक्ष अधि उपस्थित। वादी गवाह अनु०। वकील वादी साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर चाहते हैं पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं। अतः कि कोस्ट पर अंतिम अवसर दिया जाता है। आगामी पेशी पर अग्रिम कार्य से सम्पूर्ण साक्ष्य पेश करें। अन्यथा साक्ष्य का अवसर बंद समझा जावे। पत्रावली दिनांक 12/8/19 को पेश हो।
	12/8/19 पत्रावली पेश है। अधि प्रतिवादी उ० वादी एवं वादी गवाह अनुपस्थित। वादी एवं वादी के अधि० को बार बार आवाजें लगाई गई। इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः वादी का वाद पैरवी के अभाव में अग्रम पैरवी अग्रम वापसी अग्रम साक्ष्य में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किए जावे।